

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 576/07

संस्थापन दिनांक:-16/11/04

फाईलिंग नं. 233504000012004

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र बोरदेही,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

रामेश्वर उर्फ कल्लू पिता दहीलाल ओझा,  
उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम हरन्या  
थाना बोरदेही, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 15.05.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 457, 380 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि दिनांक 14.10.2004 की दरम्यानी रात्रि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति की दुकान ग्राम हरन्या थाना बोरदेही में सूर्योदय के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से दुकान का ताला तोड़कर प्रवेश कर रात्रो गृह भेदन कारित किया एवं फरियादी नारायण के आधिपत्य की दुकान में से केस बॉक्स जिसमें 11,060/- रुपये रखे थे, को बेईमानी पूर्वक ले लेने का आशय रखते हुए वहां से हटाकर चोरी की।

2 प्रकरण में यह उल्लेखनीय तथ्य है कि प्रकरण के एक अन्य अभियुक्त छन्नू उर्फ छगनलाल पिता सुरजू गोंड को दिनांक 06.08.2016 एवं अभियुक्त सुभाष पिता अशोक मेहरा को दिनांक 29.06.2010 को फरार घोषित किया गया है। यह निर्णय केवल अभियुक्त रामेश्वर उर्फ कल्लू के संबंध में पारित किया जा रहा है।

3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी नारायण ने दिनांक 15.10.2004 को थाना बोरदेही आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवायी कि वह ग्राम बोरदेही एवं छिपन्या पीपर्या समिति का शाखा प्रबंधक होकर वह अपने हेड क्वार्टर छिपन्या में रहता है। दिनांक 15.10.2004 को सुबह 9-10 बजे उसे भवेन्द्र कुमार ने आकर बताया कि हरन्या सोसायटी दुकान के सामने के कमरे का ताला तोड़कर किसी ने दुकान के पहले कमरे में घुसकर दुकान में रखा केश बॉक्स चुरा लिया है। भवेन्द्र ने उसे यह भी बताया था कि केस बॉक्स में मालेगांव एवं हरन्या दुकान का 11,060/- रुपये था जो भवेन्द्र ने दिनांक 14.10.2004 को शाम 4 बजे रखा था। भवेन्द्र को उक्त सूचना महाराष्ट्र बैंक के केशियर सुखलाल ने दी थी। भवेन्द्र ने जब सोसायटी जाकर देखा तो सोसायटी के बाहरी

कमरे का दरवाजा पूरा खुला था और दरवाजे में लगा ताला किसी ने तोड़कर वही फेंक दिया था एवं कमरे में रखा केश बॉक्स जिसमें 11060/- रुपये थे किसी ने चुरा ले गया था।

4 फरियादी द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर थाना बोरदेही में अज्ञात के विरुद्ध अपराध क्र. 190/04 में धारा 457, 380 भा.दं.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। घटना का नक्शा मौका बनाया गया। अभियुक्तगण का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेंडम लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त सुभाष से 500/- रुपये, अभियुक्त रामेश्वर उर्फ कल्लू से करीब साढ़े तेरह किलो वजनी तिजोरीनुमा लोहे की केश बॉक्स एवं 500/- रुपये, अभियुक्त छन्नू उर्फ छगनलाल से 1000/- रुपये एवं एक लोहे की रॉड जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। जप्तशुदा संपत्तियों की शिनाख्ती की कार्यवाही करवायी गयी। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। अनुसंधान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र निराकरण हेतु न्यायालय में पेश किया गया।

5 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

6 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 14,15.10.2004 की दरम्यानी रात्रि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति की दुकान ग्राम हरन्या थाना बोरदेही में सूर्योदय के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से दुकान का ताला तोड़कर प्रवेश कर रात्रो गृह भेदन कारित किया तथा फरियादी नारायण के आधिपत्य की दुकान में से केश बॉक्स जिसमें 11060/- रुपये रखे थे, को बेईमानी पूर्वक ले लेने का आशय रखते हुए वहां से हटाकर चोरी की ?

2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

**॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥**

**विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण**

7 नारायण (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह सहकारी सोसायटी की दुकान ग्राम हरन्या का मैनेजर था। भवेन्द्र ने उसे यह बताया था कि सोसायटी में चोरी हो गयी है तब उसने जाकर देखा तो केश बॉक्स में 11060/- रुपये चोरी हो गये हैं तब उसने घटना की रिपोर्ट थाने में की थी। भवेन्द्र साहू (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घ

टना सहकारी सोसायटी की दुकान की सुबह 5-6 बजे की है। वह अपने घर पर था उसे सुखलाल ने खबर दी कि राशन दुकान का ताला टूटा हुआ है तब वह दुकान पर गया और उसने देखा कि पैसा रखने की तिजोरी गायब थी और ताला टूटा हुआ था। सुखलाल (अ.सा.-1) ने भी उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि वह सहकारी सोसायटी की दुकान बाजू में रहता है। उसने देखा था कि सहकारी सोसायटी की दुकान का ताला टूटा हुआ है। सूचना मिलने पर जब छानबीन की गयी तब सोसायटी की दुकान का केश बॉक्श चोरी हो गया था। एच.एल. शर्मा (अ.सा.-7) ने फरियादी नारायण की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अपराध क्र. 190/04 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2) लेखबद्ध करना प्रकट किया है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों से यह प्रमाणित होता है कि ग्राम हरन्या स्थित सहकारी सोसायटी की दुकान से 11060/- रुपये की चोरी हुई थी।

8 नामदेव (अ.सा.-4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह अभियुक्तगण को नहीं जानता है और उसे घटना के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है। लगभग 5-7 साल पहले पुलिस के कहने पर उसने कुछ कागजों पर हस्ताक्षर किये थे। अभियुक्त रामेश्वर के मेमोरेंडम (प्रदर्श पी-4) जप्ती (प्रदर्श पी-8) एवं गिरफ्तारी (प्रदर्श पी-13) पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी दिनेश (अ.सा.-6) ने यह बताया है कि घटना बहुत पुरानी होने के कारण उसे याद नहीं है और उसे यह भी नहीं पता कि किस अभियुक्त के केश बॉक्श जप्त हुआ था और किससे क्या-क्या जप्त हुआ था और किसकी गिरफ्तारी उसके सामने की गयी थी उसे याद नहीं है परंतु मेमोरेंडम (प्रदर्श पी-4), जप्ती (प्रदर्श पी-8) एवं गिरफ्तारी (प्रदर्श पी-13) पर उसके हस्ताक्षर हैं। उपर्युक्त दोनों साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं।

9 एच.एल. शर्मा (अ.सा.-7) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसके द्वारा अभियुक्त रामेश्वर से पूछताछ कर मेमोरेंडम (प्रदर्श पी-4) तैयार किया गया था जिसमें अभियुक्त ने सोसायटी की लोहे की खाली पेटी रेल की पटरी के पास झाड़ी में छिपाना और अपने हिस्से में आये रूपयों में से 500/- रुपये घर में खुटी में टंगे पेंट में होना बताया था। साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि उसके द्वारा अभियुक्त रामेश्वर को उसके मकान पर ले जाकर घर के अंदर खुटी में टंगे पेंट की जेब से एक लिफाफा जिसमें 100/- 100/- के नोट कुल 500/- रुपये जप्त किये थे तथा अभियुक्त रामेश्वर ने रेल पटरी के किनारे में से झाड़ियों में से निकालकर एक लोहे का केश बॉक्श दिया था जिसकी जप्ती (प्रदर्श पी-8) गवाहों के समक्ष तैयार की गयी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि केश बॉक्श की जप्ती का स्थान खुला स्थान है और इस सुझाव को भी सही बताया है कि केश बॉक्श झाड़ियों में से घटना के करीब 15 दिन बाद बरामद हुआ था। बचाव अधिवक्ता के द्वारा पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताने में असमर्थता व्यक्त की

है कि केश बॉक्स इतने दिन तक खुले स्थान पर कैसे सुरक्षित रहा। स्वतः में साक्षी ने बताया कि झाड़ियों में छिपा हुआ था संभवतः किसी ने नहीं देखा होगा।

10 मेमोरेंडम एवं जप्ती के साक्षी नामदेव (अ.सा.-4) एवं दिनेश (अ.सा.-6) ने अपने समक्ष अभियुक्त रामेश्वर से कोई भी पूछताछ किये जाने एवं जप्ती से स्पष्ट रूप से इनकार किया है। जप्ती के प्रपत्र अपने आप में साक्ष्य नहीं हैं जब तक कि उनके कथनों को प्रमाणित न करवाया जाये। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **श्रवण विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2006(2) ए.एन.जे.एम.पी. 235** अवलोकनीय है। प्रकरण में विवेचक साक्षी एच.एल. शर्मा (अ.सा.-7) ने अभियुक्त से केश बॉक्स की जप्ती घटना के लगभग 15 दिन के बाद किया जाना बताया है। घटना स्थल खुला स्थान है एवं सभी की पहुंच का स्थान है तथा ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है कि केश बॉक्स को उपर्युक्त स्थल पर इस तरह से छिपाया गया हो कि लोगों की नजर उस पर न पड़े। तब ऐसी स्थिति में खुले स्थल से घटना के लगभग 15 दिन बाद केश बॉक्स का जप्त किया जाना जप्ती की कार्यवाही को संदेहास्पद बनाता है। इसके अतिरिक्त विवेचक साक्षी एच.एल. शर्मा के कथनों से यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त रामेश्वर ने अपने मकान के किस कमरे से, किस जगह से, किस रंग के पेंट से लिफाफा निकालकर जिसमें कि 500/- रुपये थे दिया था। इस प्रकार विवेचक साक्षी के कथनों से भी मेमोरेंडम एवं जप्ती प्रमाणित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त शिनाख्तीकर्ता जुगलकिशोर (अ.सा.-5) ने भी न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि दिनांक 08.11.2004 को पंचायत भवन बोरदेही में शिनाख्ती की कार्यवाही हुई होगी, उसे याद नहीं है और उसे याद दिलाने पर भी याद नहीं आयेगा। लेकिन शिनाख्ती पंचनामा (प्रदर्श पी-14) पर उसके हस्ताक्षर हैं परंतु प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि शिनाख्ती के समय किस-किस वस्तु को मिलाया गया था और किसने शिनाख्ती की थी उसे याद नहीं है। इस तरह से शिनाख्ती की कार्यवाही भी प्रमाणित नहीं होती है।

11 प्रकरण में फरियादी नारायण के द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट लेख करायी गयी है। घटना के समय फरियादी अपनी दुकान पर नहीं था। तब ऐसी स्थिति में जबकि अभियुक्त के द्वारा चोरी की जाना प्रमाणित नहीं पाया गया है तब यह भी प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त ने चोरी करने के आशय से फरियादी की दुकान में ताला तोड़कर प्रवेश कर रात्रो गृह भेदन कारित किया।

### **विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण**

12 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 14.15.10.2004 की दरम्यानी रात्रि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति की दुकान ग्राम हरन्या थाना बोरदेही में सूर्योदय के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से दुकान का ताला तोड़कर प्रवेश कर रात्रो गृह भेदन कारित किया एवं फरियादी नारायण के आधिपत्य की दुकान में से केस बॉक्स जिसमें 11,060/- रुपये रखे थे, को बेईमानी

पूर्वक ले लेने का आशय रखते हुए वहां से हटाकर चोरी की। फलतः अभियुक्त रामेश्वर उर्फ कल्लू को भारतीय दंड संहिता की धारा 454, 380 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13 प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में आदेश अभियुक्त सुभाष एवं छन्नू उर्फ छगनलाल के संबंध में निर्णय पारित करते समय किया जावेगा।

14 अभियुक्त के जमानत मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

15 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

16 प्रकरण में अभियुक्त छन्नू उर्फ छगनलाल को दिनांक 06.08.2016 एवं अभियुक्त सुभाष को दिनांक 29.06.2010 को फरार घोषित किया गया है। अतः प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर सुरक्षित रखे जाने की टीप अंकित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)